न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर

मुकदमा नं.130/14 तारीख दायर 22–10–14 तारीख फैसला 18/05/2021

1 मूलचन्द पुत्र लाखा
2 रामनाथ पुत्र लाखा
3 लिखलेश पुत्र स्व. शिवराज नाबालिक जरिये संरक्षिका माता मीरा देवी पत्नि स्व. शिवराज
4 रंगलाल पुत्र स्व. शिवराज नाबालिक जरिये संरक्षिका माता मीरा देवी पत्नि स्व. शिवराज
5 सुनिता पुत्री स्व. शिवराज नाबालिक जरिये संरक्षिका माता मीरा देवी पत्नि स्व. शिवराज
6 अनिता पुत्र स्व. शिवराज नाबालिक जरिये संरक्षिका माता मीरा देवी पत्नि स्व. शिवराज
7 मीरा देवी पत्नि स्व. शिवराज
8 धन्ना पुत्र स्व. रामला
9 भीखा पुत्र स्व. रामला
10 मोता पत्नि स्व. रामला (फौत – नाम हजफ)
11 मोती देवी पत्नि स्व. हीरालाल
12 मंगल पुत्र मेवा
13 पांचू पुत्र मेवा
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1 रामा देवी पत्नि स्व. लादू (फौत – नाम हजफ)
2 कल्याण पुत्र स्व. लादू
3 ग्यारसीलाल पुत्र स्व. लादू
4 कालू पुत्र स्व. लादू
5 बाबूलाल पुत्र स्व. श्री किशन
6 रामराय पुत्र स्व. श्री किशन
7 धन्नी पत्नि स्व. श्रीकिशन (फौत – नाम हजफ)
8 लक्ष्मण पुत्र स्व. मेदा उर्फ मेवा (दौराने वाद मृतक)
8/1 कजोड पुत्र लक्ष्मण
8/2 मंगल पुत्र लक्ष्मण
8/3 बिसराम पुत्र लक्ष्मण
8/4 शंकर पुत्र लक्ष्मण
8/5 बोदूराम पुत्र लक्ष्मण
8/6 धन्नी देवी पत्नि लक्ष्मण
9 गोपाल पुत्र स्व. मेदा उर्फ मेवा
10 बिरदा पुत्र स्व. मेदा उर्फ मेवा
11 गोदू पुत्र स्व. मेदा उर्फ मेवा
12 राजू पुत्र स्व. छोटीलाल
13 रामचन्द्र पुत्र स्व. छोटीलाल
14 काना पुत्र स्व. छोटीलाल
15 छोटी पत्नि स्व. छोटीलाल
16 रामफूल पुत्र स्व. जगन्नाथ
17 प्रभू पुत्र स्व. जगन्नाथ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला–जयपुर

18 जगदीश पुत्र स्व. जगन्नाथ
19 श्रवण पुत्र स्व. जगन्नाथ
20 श्रीमती शान्ति देवी पत्नि मूलचन्द
21 गुल्ली देवी पत्नि किशन
22 कमला देवी पत्नि फूलचन्द
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
23 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

उपस्थिति अभिभाषक

प्रार्थी की ओर से एडवोकेट राजेश कुमार पारीक

अप्रार्थी संख्या 1 ता 22 की ओर से एकतरफा कार्यवाही

अप्रार्थी संख्या 23 स्वयं उपस्थित

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा

136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट वास्ते रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 18/04/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इनइ कथनों के साथ पेश किया गया कि खसरा नं. 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 951, 952, कुल किता 10 ुल रकबा 3.0200 हैक्टेयर ग्राम इन्द्रगढ़ में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है सम्वत् 2044 से 47 के मध्य राजस्व रिकार्ड के कर्मचारियों ने सहवन से जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 में अप्रार्थी संख्या 1 ता 19 के हकपूर्वाधिकारी लादू, मेवा उर्फ मेवा, जगन्नाथ का नाम दर्ज कर दिया जबकि अप्रार्थी संख्या 8 ता 11 के पिता मेदा पुत्र रेवड है और प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी मेवा पुत्र चोखा है एवं दिनांक 27–08–2014 को रिकार्ड की नकले लेने पर प्रार्थीगण को जानकारी होने पर उक्त त्रुटि को सही करवाने हेतु अप्रार्थीगण को कहा गया जिन्होने इन्कार कर दिया जिसके बाद यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ एवं उक्त भूमियों में अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 एवं 16 से 19 का नाम तथा अप्रार्थी संख्या 8 से 14 के हकपूर्वधिकारी मेवा पुत्र रेवड (मेदा पुत्र रेवड) का नाम हजफ किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया जिस पर बावजूद सूचना के अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुये जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 23 से जवाब मय रिपोर्ट तलब की गई जिसमें अप्रार्थी संख्या 23 तहसीलदार की ओर से जवाब पेश कर कहा गया कि उक्त भूमियें के रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 25 के खाता संख्या 23 में नामान्तकरण संख्या 180 नोट अंकन है जिसमें नामान्तकरण संख्या 180 के अनुरूप नामान्तकरण का नोट अंकन नहीं हुआ है, उक्त नामान्तकरण में गोविन्दा पुत्र चोखा की विरासत, भूरी बैवा देवा, व मेवा पुत्र चोखा के नाम खुली है जबकि जमाबन्दी में 180 नामान्तकरण का नोट भूरी बैवा देवा, मेवा पुत्र चोखा एवं लादू, मेदा, जगन्नाथ पुत्रान् रेवड का अंकन है जो कि गलत है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र जवाब तहसीलदार एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि नामान्तकरण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जिला–जयपुर

1880 गोविन्द पुत्र चोखा का फौती नामान्तकरण भूरी बैवा देवा व मेवा पुत्र चोखा के नाम वादग्रस्त भूमियों का स्वीकृत हुआ था साथ ही गै.मु. चाह खसरा नं. 185 का नामान्तकरण भी गोविन्दा पुत्र चोखा एवं रेवड का फौती नामान्तकरण स्वीकृत हुआ जिसमें कुये के खातेदार भूरी बैवा देवा, मेवा पुत्र चोखा, लादू, मेदा, जगन्नाथ पुत्रान रेवड के नाम खुला था जिसके पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2047–50 में कुये का नामान्तकरण सही अंकन है परन्तु वादांकित भूमियों में भूरी बैवा देवा और मेवा वल्द चोखा के साथ ही कुये के अन्य सहखातेदारों लादू, मेवा, जगन्नाथ का नाम भी त्रुटिवश अंकन कर दिया गया है यह रिकार्ड से स्पष्ट है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमियों खसरा नं. 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 951, 952, कुल किता 10कुल रकबा 3.0200 हैक्टेयर ग्राम इन्द्रगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम बदस्तूर रखा जाकर अप्रार्थीगण का एवं मेवा पुत्र रेवड (मेदा पुत्र रेवड) का नाम हजफ किया जाकर दुरूस्त किया जावे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला–जयपुर
जमवारामगढ